रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03102024-257661
CG-DL-E-03102024-257661

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3958] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 1, 2024/आश्विन 9, 1946
No. 3958] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 1, 2024/ASVINA 9, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2024

का.आ. 4317(अ).—केंद्रीय सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ.1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 के अनुसरण में, अधिसूचना का.आ. 4894(अ) तारीख 23 नवंबर, 2021 द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ कहा गया है) तथा प्राधिकरण की सहायता करने के प्रयोजन के लिए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात् एसईएसी कहा गया है) का गठन किया है।

और, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (प्रधान पीठ) ने 2022 के ओ.ए. 142, जयंत कुमार बनाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मामले में यह निदेश दिया है कि राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, तारीख 11.12.2018 तक जिला स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (डीईआईएए) द्वारा जारी पर्यावरण अनापत्ति का मूल्यांनक/पुन:मूल्यांकन करेगी। डीईआईएए द्वारा 12.12.2018 को उसके पश्चात् अनुदत्त पर्यावरण अनापत्तियों की दशा में मूल्यांकन राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण द्वारा करना होगा तथा पर्यावरण अनापत्तियों को पर्यावरण प्रभाव आकलन, 2006 के उपबंधों के अनसार अनुदत्त किया जाए।

और, जिला स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण द्वारा जारी की गई पर्यावरण अनापत्ति का पुन: मूल्यांकन करके प्राधिकरण की सहायता करने तथा नई पर्यावरण अनापत्ति अनुदत्त करने में प्राधिकरण की सहायता करने के लिए अतिरिक्त समितियों के गठन का अनुरोध किया है।

और, छत्तीसगढ राज्य सरकार ने यह भी अनुरोध किया है कि एसईऐसी के अध्यक्ष को परिवर्तित किया जाए ।

और, केंद्रीय सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के परामर्श से प्राधिकरण को सहायता करने के प्रयोजन हेतु छत्तीसगढ़ के लिए दो अतिरिक्त राज्य स्तरीय विशेष मूल्यांकन समितियों के गठन का विनिश्चय किया है ;

अत:, अब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 के अनुसरण में, केंद्रीय सरकार, अधिसूचना सं. का.आ. 4893(अ) तारीख 23 नवंबर, 2021 (जिसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना में,--

(क) "एसईएसी" अक्षरों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, "(एसईएसी-1, एसईएसी-2 और एसईएसी-3)" अक्षर और अंक रखे जाएंगे ;

(ख) पैरा 4 में, "राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति" शब्दों के स्थान पर, "राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों (एसईएसी-1, एसईएसी-2 और एसईएसी-3)" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) पैरा 5 में,--

(i) "राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति (इसमें इसके पश्चात् एसईएसी, छत्तीसगढ़ कहा गया है)" शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर "तीन राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों, अर्थात् राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति – 1, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति – 2 और राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति – 3 (जिसे इमसें इसके पश्चात् एसईएसी-1, एसईएसी-2 और एसईएसी-3 कहा गया है)" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ii) सारणी के ऊपर **"एसईएसी-1"** अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(iii) सारणी में क्रम सं. 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों क स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात् :--

"1. श्री आशीष कुमार भट्ट, अध्यक्ष ;"

403ए, श्रीजी वी3 अमलतास मौलश्री विहार, वीआईपी रोड

रायपुर, छत्तीसगढ़-492006

(iv) एसईएसी-1 सारणी के पश्चात्, निम्नलिखित सारणियां अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात :--

एसईएसी-2

(1)	(2)	(3)
1.	श्री विक्रम सिंह लाकड़ा एचआईजी-डीडी-8, सेक्टर-8, सीजीएचबी कॉलोनी, सद्दू, सीजी विज्ञान केंद्र के पास, रायपुर-492014	अध्यक्ष ;
2.	डॉ. थुलासिंगम कलाइचेलवन क्वा.नं. Iए, स्ट्रीट-4ए, सेक्टर-9, भिलाई, दुर्ग, छत्तीसगढ़	सदस्य ;
3.	डॉ. कोसियाथु राघवन नायर हरि प्रोफेसर, स्कूल ऑफ स्टडीज इन जियोलॉजी एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, पं रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर।	सदस्य ;
4.	श्री निलेश्वर प्रसाद साहू,	सदस्य ;

	प्लॉट नंबर-20, प्रियंका नगर, रिशाली सेक्टर, भिलाई, जिला- दुर्ग, छत्तीसगढ़-490006,	
5.	श्री सुनील कुमार शर्मा, बी/1 राजीव नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़	सदस्य ;
6.	संयुक्त सचिव या उप सचिव, आवास और पर्यावरण विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार, रायपुर, छत्तीसगढ़	सदस्य सचिव, पदेन

एसईएसी-3

(1)	(2)	(3)
1.	श्री जयसिंह म्हस्की, 05, ओल्ड पंचशील नगर, सिविल लाइंस, रायपुर, छत्तीसगढ़ - 492001	अध्यक्ष ;
2.	डॉ. विकास कुमार जैन, रसायन विज्ञान विभाग, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, सेजबहार, रायपुर, छत्तीसगढ़-492015	सदस्य ;
3.	श्री रमाशंकर मिश्रा सी/5-23, सेक्टर-4, टाटीबंध, रायपुर, छत्तीसगढ़।	सदस्य ;
4.	डॉ. अजय विक्रम अहिरवार सिविल इंजीनियरिंग विभाग, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जीई रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़	सदस्य ;
5.	संयुक्त सचिव या उप सचिव, आवास और पर्यावरण विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार, रायपुर, छत्तीसगढ़	सदस्य सचिव, पदेन

(घ) पैरा 5 के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"5क. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों (एसईएसी-1, एसईएसी-2 और एसईएसी-3) के क्षेत्राधिकार निम्नानुसार हैं :-

एसईएसी-1	एसईएसी-2	एसईएसी-3
(1)	(2)	(3)
जिला - (1) मनेंद्रगढ़- चिरमिरी-भरतपुर, (2) कोरिया, (3) सूरजपुर, (4) बलरामपुर, (5) जशपुर, (6) सरगुजा, (7) गौरेला- पेंड्रा- मरवाही,	जिला - 1. रायगढ़, 2. जांजगीर- चांपा, 3. सारंगढ़ - बिलाईगढ़, 4. बलौदा बाजार - भाटापारा, 5. महासमुंद, 6. बेमेतरा, 7. खैरागढ़- छुईखदान- गंडई,	जिला - 1. रायपुर, 2. गरियाबंद, 3. धमतरी, 4. दुर्ग, 5. उत्तर बस्तर कांकेर, 6. कोंडागांव, 7. नारायणपुर,

(8) मुंगेली,	8.	कबीरधाम,	8.	बस्तर,
(9) बिलासपुर,	9.	राजनंदगांव,	9.	बीजापुर,
(10) सक्ति और	10.	मोहला- मानपुर -चौकी, और	10.	दंतेवाड़ा और
(11) कोरबा ।	11.	बालोद ।	11.	सुकमा ।

5ख. क्रमशः एसईएसी-1, एसईएसी-2 और एसईएसी-3 के अध्यक्षों और सदस्यों का कार्यकाल प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ के सह विस्तारी होगा.".

[फा.सं. जे-11013/41/2007-आईए.II(I)]

अमनदीप गर्ग, अपर सचिव

टिप्पण :- मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. सं. 4894(अ), तारीख 23 नवंबर, 2021 के द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st October, 2024

S.O. 4317(E).—WHEREAS in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, the Central Government, *vide* S.O. 4894 (E), dated the 23rd November, 2021 has constituted the State Level Environment Impact Assessment Authority, Chhattisgarh (hereinafter referred to as the Authority, Chhattisgarh) and the State Level Expert Appraisal Committees (hereinafter referred to as the SEAC) for the purpose of assisting the Authority;

AND WHEREAS, the National Green Tribunal (Principal Bench) in O.A.142 of 2022 in the matter of Jayant Kumar Vs. Ministry of Environment, Forest and Climate Change, has directed that the State Level Expert Appraisal Committee shall appraise /re-appraise the environmental clearance issued by the District Level Environment Impact Assessment Authority (DEIAA) upto 11.12.2018. In case of environmental clearances granted on or after 12.12.2018 by DEIAAs, the appraisal has to be made by the State Level Environment Impact Assessment Authority and environmental clearances are to be granted in accordance with the provisions of Environment Impact Assessment, 2006.

AND WHEREAS the State Government of Chhattisgarh has requested for the constitution of additional Committees to assist the Authority by re-appraising the environmental clearance issued by District Level Environment Impact Assessment Authority and grant a fresh environmental clearance.

AND WHEREAS the State Government of Chhattisgarh has also requested that Chairman SEAC may be replaced;

AND WHEREAS the Central Government in consultation with the State Government of Chhattisgarh has decided to constitute two additional State Level Expert Appraisal Committees for Chhattisgarh for the purpose of assisting the Authority;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the *erstwhile* Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533 (E), dated 14th September, 2006, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 4894 (E), dated the 23rd November, 2021 (hereinafter referred to as the said notification), namely:-

In the said notification,-

(a) for the words and figures “SEAC” wherever they occur, the words “SEAC-1, SEAC-2 and SEAC-3” shall be substituted;

(b) in paragraph 4, for the words, “the State Level Expert Appraisal Committee”, the words “the State Level Expert Appraisal Committees (SEAC-1, SEAC-2 and SEAC-3)” shall be substituted;

(c) in paragraph 5,-

(i) for the words, brackets and figures "constitutes State Level Expert Appraisal Committees (hereinafter referred to as SEAC, Chhattisgarh)", the words, brackets and figures, "*Constitutes three State Level Expert Appraisal Committees, that is, the State Level Expert Appraisal Committee-1, State Level Expert Appraisal Committee -2 and the State Level Expert Appraisal Committee-3 (hereinafter referred to as the SEAC-1, SEAC-2 and SEAC-3*)", shall be substituted;

(ii) The words ***"SEAC-1,"*** shall be inserted above the table.

(iii) in the table, for serial number 1 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely: -

"1. Shri Ashish Kumar Bhatt, Chairman;";

403 A, Shreeji V3 Amaltas Moulshree Vihar, VIP Road,
Raipur, Chhattisgarh-492006

(iv) after the SEAC-1 table, the following tables shall be inserted, namely:-

SEAC-2

(1)	(2)	(3)
1.	Shri Vikram Singh Lakra HIG-DD-8, Sector-8,CGHB Colony, Saddu, Near C.G. Science Centre, Raipur-492014	Chairman;
2.	Dr. Thulasingam Kalaichelvan Qr.No.1A, Street-4A, Sector-9, Bhilai, Durg, Chhattisgarh	Member;
3.	Dr. Kosiyathu Raghavan Nair Hari Professor, School of Studies in Geology and Water Resource Management, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur	Member;
4.	Shri Nileshwar Prasad Sahu, Plot no-20, Priyanka Nagar, Rishali Sector, Bhilai, District- Durg, Chhattisgarh- 490006	Member;
5.	Shri Sunil Kumar Sharma, B/1 Rajiv Nagar, Raipur, Chhattisgarh	Member;
6.	Joint Secretary or Deputy Secretary, Housing and Environment Department, Government of Chhattisgarh, Raipur, Chhattisgarh	Member Secretary, ex officio

SEAC-3

(1)	(2)	(3)
1.	Shri Jaisingh Mhaskey, 05, Old Panchsheel Nagar, Civil Lines, Raipur, Chhattisgarh -492001.	*Chairman;*
2.	Dr. Vikas Kumar Jain, Department of Chemistry, Government Engineering College, Sejbahar, Raipur, Chhattisgarh – 492015.	*Member;*

3.	Shri Rama Shankar Mishra C/5-23, Sector-4, Tatibandh, Raipur, Chhattisgarh.	*Member;*
4.	Dr. Ajay Vikram Ahirwar Civil Engineering Department, National Institute of Technology, G.E. Road, Raipur, Chhattisgarh	*Member;*
5.	Joint Secretary or Deputy Secretary, Housing and Environment Department, Government of Chhattisgarh, Raipur, Chhattisgarh	*Member Secretary, ex officio.*

(d) after paragraph 5, the following paragraphs shall be inserted, namely :-

"5A. The jurisdictions of the State Level Expert Appraisal Committees **(SEAC-1, SEAC-2** and **SEAC-3)** are as follows :-

SEAC-1	**SEAC-2**	**SEAC-3**
(1)	**(2)**	**(3)**
District - (1) Manendragarh-Chirmiri- Bharatpur, (2) Koriya, (3) Surajpur, (4) Balrampur, (5) Jashpur, (6) Surguja, (7) Gaurella-Pendra- Marwahi, (8) Mungeli, (9) Bilaspur, (10) Sakti and (11) Korba.	**District –** 1. Raigarh, 2. Janjgir-Champa, 3. Sarangarh – Bilaigarh, 4. Baloda Bazar – Bhatapara, 5. Mahasamund, 6. Bemetara, 7. Khairagarh- Chhuikhadan-Gandai, 8. Kabirdham, 9. Rajnandgaon, 10. Mohla – Manpur – Chowki and 11. Balod.	**District -** 1. Raipur, 2. Gariaband, 3. Dhamtari, 4. Durg, 5. Uttar Bastar Kanker, 6. Kondagaon, 7. Narayanpur, 8. Bastar 9. Bijapur, 10. Dantewada and 11. Sukma.

5B. The tenure of the Chairmen and Members of SEAC-1 SEAC-2 and SEAC-3 respectively shall be co-terminus with the Authority, Chhattisgarh.".

[F. No. J-11013/41/2007-IA.II(I)]

AMANDEEP GARG, Addl. Secy.

Note,- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 4894(E), dated the 23rd November, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

AMIT KUMAR JAISWAL Digitally signed by AMIT KUMAR JAISWAL
Date: 2024.10.03 22:07:49 +05'30'